फर्द अहकाम

(नियम 15)

[...]अदालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

नत्थन **बनाम** मंगतू

[...] मुकदमा ~~प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा~~ नं. ---------64/ सन 2009

[...] हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/12/09	नत्थन S/o कज्जी जाति माली निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम सायल बनाम 1 मंगतू S/o किशनलाल 2 शिवजी S/o किशनलाल 3 हल्ली (हबली) S/o हरचन्द } जाति माली निवासीयान टोडाभीम 4. तहसीलदार टोडाभीम 5. उप पंजीयक टोडाभीम प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम टोडाभीम स्थित भूमि खसरा नम्बर 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, कुल किता 6 रकबा 1.74 हैक्टे० के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक यथावत बनाये रखे। तथा भूमि का रहन-बयय नहीं करे। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली दिनांक 8.1.2010 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, करौली (राज०)
74-78 11.12.09	
8/1/10	वकील प्रार्थी उपस्थित। SDM साo चुनाव में व्यस्त है। गताङुसार दिनांक 26.2.10 को पेश हो। [initials]

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

	फर्द अहकाम	
21/12/15	वकुलाय उप०/ जवाब प्रा.पत्र ता.९. पेश किया नकल दिलाई वास्ते बहस दिनांक 20/1/16 को पेश हो।	
20/1/16	वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया पत्रावली का मनन किया। प्रार्थी वकील ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अप्रार्थीगण को तादावा फैसला रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे जबकि वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि सह खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है पत्रावली का अवलोकन किया। सायल खातेदार काश्तकार की दावा बँटवारा का पेश हुआ है। दावा का फैसला होने तक रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति कायम रखना उचित प्रतीत होता है। इसलिए दिनांक 11.12.2009 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को तादावा फैसला कन्फर्म किया जाता है तथा प्रतिवादी/गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि सायल के हिस्से में कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रा० के ~~साथ~~ साथ संलग्न रहे। उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	